तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.7.19	पत्रावली पेश हुई / वकील प्रार्थी उपस्थित / तहसीलदार इन्दरगढ़ ने रिपोर्ट पेश की है जिसको शामिल किया /. बहस पूर्व में भी सुन चुकी है। तहसीलदार इन्दरगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता आने-जाने हेतु विद्यमान है रास्ते दिये जाने की आवश्यकता नहीं मानी है। अत: RT ACT की धारा 251 A का प्रा० पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल करें / पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल दाखिल दफ्तर हो/
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बूंदी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 11/2017

दायरा दिनांक :— 21.02.2017

पीठासीन अधिकारी

गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. मोरपाल आत्मज सुखपाल जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

— प्रार्थी —

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज राधाकिशन जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. कमलेश आत्मज राधाकिशन जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. दाखाबाई बेवा राधाकिशन जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थीगण —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क
आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :— 19.07.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 83 खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का आवासीय मकान ट्यूबेल मय विद्युत कनेक्शन सहित हैं एवं परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के खातें काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 141 रकबा 1.39 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है मे से पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थी के खेत मे जाने का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं0 140, 141 सेटलमेंट सर्वे 2041–2060 के पूर्व के पुराने खसरा नं0 53 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा हैं उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के सामलाती दर्ज थी और आपसी रजामन्दी से हिस्सा नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 29.03.1978 से बटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त काबिज हुये। उस बटवारा के अनुसार प्रार्थी के खेत मे आने जाने का 12 फीट चौडा रास्ता था। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करता आया है और रास्ते के सामने ही प्रार्थी ने अपना आवासीय मकान बनाया हुआ है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पुश्तैनी है और रास्ता देते हुये ही बटवारा हुआ था। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने का एक मात्र रास्ता है।

अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि को तारबाडा करते समय प्रार्थी के खेत का रास्ता तारबाडा लगा कर बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि यंत्र व पैदल आने जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का स्थाई रास्ता चाहता है। जिसके लिये अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बराबर भूमि देने को तैयार है और डी.एल.सी. दर से रास्ते की भूमि का मुआवजा अदा कर रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहता है और अन्त में प्रार्थना की कि खसरा नं. 141 रकबा 1.39 हैक्टर मे सें नहर के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार पेश हुआ। तहसीलदार इन्द्रगढ से मोके एवं रिकार्ड की जांच करवाई गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नं0 139 रकबा 1.86 हैक्टर किस्म सिवायचक भूमि खसरा नं0 140 में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम सुनारी के खसरा नं0 139 में बना हुआ है। जो खसरा नं0 140 की पश्चिम मेर पर स्थित है। उक्त रास्ता डामर सडक से खसरा नं0 140 मे आसानी से आना जाना हो सकता है। अतः खसरा नं0 140 पर आने जाने के लिये पृथक से रास्ते की आवश्यकता नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। खसरा नं0 139, 140, 141 एक दूसरे से मिले हुये है। खसरा नं0 139 मे पूर्व सें ही रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी खसरा नं0 141 मे से ही रास्ता लेना चाहता है। अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट के तहत रास्ता नही होने की स्थिति मे कम से कम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। चूकि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी पर पूर्व से ही खसरा नं0 139 रकबा 1.86 हैक्टर वाके ग्राम सुनारी से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। जो प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर की मेर से लगा हुआ है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आ जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 140 रकबा 1.56 हैक्टर पर खसरा नं0 139 रकबा 1.86 हैक्टर किस्म सिवायचक मे आने जाने का रास्ता बना हुआ है। जो खसरा नं0 140 पश्चिम मेर पर स्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी